

पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल

परिपत्र

क्रमांक पु0मु0/चयन/2/स-4/ 1083-ए /07, दिनांक 15.5.07


प्रति,  
समस्त पुलिस इकाईया,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में शारीरिक मापदण्ड में छूट प्रदान किए जाने बाबत ।

संदर्भ:- इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक पु0मु0/चयन/2/स-4/  
1083/07, दिनांक 8.1.07

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र को संशोधित किया जाता है कि अनुकम्पा नियुक्ति के सभी प्रकरणों (वीरगति के अतिरिक्त भी) में शारीरिक माप में उंचाई में अधिकतम 05 से0मी0 एवं सीने में अधिकतम 10 से0मी0 की छूट देने हेतु रेंज पुलिस महानिरीक्षक को अधिकृत किया जाता है । इससे अधिक की छूट किसी भी स्तर से प्रदान नहीं की जावेगी ।


2. अनुकम्पा नियुक्ति के जिन प्रकरणों को परिपत्र दिनांक 8.1.07 के प्रावधानों के अनुसार उंचाई में छूट न दिए जाने के कारण निरस्त या नस्तीबद्ध कर दिया गया है उन्हें पुनः विचारण में लेकर उपरोक्त पैरा के अनुसार कृपया कार्यवाही की जावे ।

  
हेतु- पुलिस महानिदेशक  
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक पु0मु0/2/चयन/स-4/ 1083-ए /2007 दिनांक 15.5.07

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि0स0बल, गुप्तदार्ता, अ0अ0वि0, एससीआरबी, रेल, दूरसंचार म0प्र0 ।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेंज (वि0स0बल एवं रेल सहित) म0प्र0
3. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज (वि0स0बल सहित) म0प्र0 ।
4. सहायक पुलिस महानिरीक्षक वि0शा0, अ0अ0वि0, एससीआरबी, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल ।

  
हेतु- पुलिस महानिदेशक  
मध्यप्रदेश भोपाल